भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1026

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पश्चिमी तटों की सुरक्षा

1026. श्री राजकुमार धूत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पश्चिमी तटों की सुरक्षा की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा परिणाम क्या-क्या हैं;
(ग) क्या किन्हीं खामियों का पता लगाया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) : जी, हां।

(ख) : तटीय सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए अनेक तंत्र हैं जैसे (i) रक्षा मंत्री समय-समय पर तटीय सुरक्षा की समीक्षा करते हैं (ii) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समुद्र से खतरों के प्रति समुद्री और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय समिति (एनसीएसएमसीएस) वर्ष 2009 में इसके आरंभ होने के समय से समय-समय पर तटीय सुरक्षा की समीक्षा कर रही है, (iii) सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में गठित तटीय सुरक्षा की समीक्षा हेतु संचालन समिति समय-समय पर तटीय सुरक्षा की समीक्षा करती है। इन बैठकों में देश की तटीय सुरक्षा को समग्र रुप से सुदृढ़ करने के लिए अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं।

(ग), (घ) और (ड.) : तटीयसुरक्षा एक विकसित हो रही संकल्पना है। पूर्व में प्राप्त किए गए ज्ञान और अनुभव का उपयोग समग्र रुप से तटीय सुरक्षा के ढांचे में सुधार करने के लिए किया जाता है । इस संबंध में, पश्चिमी तट सहित भारतीय तटों की तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की समुद्री पुलिस द्वारा देश की समुद्री सुरक्षा और संरक्षण के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था की स्थापना।

(ii) वर्ष 2005-06 से 2010-11 में कार्यान्वित तटीय सुरक्षा योजना (चरण-।)। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 73 तटीय पुलिस स्टेशनों, 97 चेक पोस्टों, 58 आउट पोस्टों और 30 बैरकों को संचालित किया है। तटीय राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को समुद्र के अंदर और समुद्र के बाहर निगरानी करने के लिए 204 नौ काएं, 153 जीपें, 312 मोटर साइकिलें और 10 रिजिड इनफ्लेटेबल नौकाएं (आरआईबी) उपलब्ध कराई गई थीं।

(iii) तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। का कार्यान्वयन, जो 5 वर्षों की अवधि में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से आरंभ हुआ, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 समुद्री पुलिस स्टेशन, 60 जेटी, 10 समुद्री संचालन केन्द्र, 225 नौकाएं, 131 चौपहिया वाहन और 243 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) मछली पकड़ने वाले जलयानों सहित समुद्र में जाने वाले सभी जलयानों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है।

(v) 20 मीटर से बड़े जलयानों की आवाजाही का पता लगाने के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली की स्थापना।

(vi) मुम्बई, विशाखापटनम, कोच्चि और पोर्टब्लेयर में चार संयुक्त संचालन केन्द्रों की स्थापना।

(vii) तटीय निगरानी नेटवर्क (सीएसएन) की स्थापना, जिसमें वे 46 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें रडार, दिन/रात्रिकालीन कैमरा और मौसम संवेदक लगे हैं।

(viii) राष्ट्रीय स्वचालित पहचान प्रणाली (एनएआईएस) नेटवर्क की स्थापना, जिसमें तटीय रेखा पर 74 स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) रिसीविंग स्टेशनशामिल हैं।

(ix) नौ अतिरिक्त तट रक्षक स्टेशनों की स्थापना।

(x) समुद्री जहाजों की आवाजाही की निगरानी करने और उसे नियंत्रित करने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों और कुछ गैर प्रमुख बंदरगाहों में वीटीएमएस की स्थापना।

(xi) भारतीय तट रक्षक (आईसी जी) और नौसेना सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए राज्यों और जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था की स्थापना।

(xii) सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी)/सहायक मल्टी एजेंसी सेंटर (एसएमएसी) के माध्यम से आसूचना साझा करने के तंत्र को सुदृढ़ करना।

.....3/-

(xiii) तट पर रहने वाले लोगों और मछुआरों को बायोमी टिरिक कार्ड जारी करना और प्रयोक्ता एजेंसियों को कार्ड रीडर जारी करना।

(xiv) तटीय पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र का सीमांकन।

(xv) फिश लैंडिंग प्वाइंटों को अधिसूचित करना और उनकी निगरानी करना।

(xvi) सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मानचित्रों पर समुद्री पुलिस स्टेशनों, फिशिंग लैंडिंग प्वाइंट, नान-फिशिंग लैंडिंग प्वाइंट, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, सीमा शुल्क 'नाका', बम निस्तारण सुविधाओं के स्थान आदि जैसे महत्वपूर्ण ब्यौरों का मानचित्रण।

(xvii) मछली पकड़ने वाली नौकाओं की कलर कोडिंग

(xviii) देश में सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स मुद्री पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि पर राष्ट्रीय समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है।

****